न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई

तारीख हुक्म	श्री सुनीता गर्ग रजिस्ट्रार को। हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम के हुक्म की तामील में जारी	तारीख हुक्म
24/3/25	प्रा० आज पेश हुई - वसूलाए उपखण्ड वाड़ीगढ़ निवेदन मय म० वाद पत्र में तहसीलदार नदबई द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, बहस सुनी जावे - उसके उपरान्त - बहस सुनी गयी है प्रा० का अवलोकन किया गया तहसीलदार नदबई का अवलोकन किया तो पाया म० वाड़ीगढ़ सुनीता पत्नि उदयसिंह, रूपेन्द्र पुत्र उदयसिंह व प्रतिवादीगण अरविन्द पुत्र उदयसिंह का नाम हाल रिकॉर्ड जमा० संवत. 2075 वर्ष-2018 से खाता सं. 90 में खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड नहीं है उक्त खाता सं. 90 के खा० सं. 627, 632, 633, 639 मिला 4 रकबा 0.25 मिलान औजमल सं. 2060 के गत खसरा 412, 418, 419 बने हुए हैं उक्त आराजी में वाड़ीगढ़ के ला० बाबा० श्यामा का फौती नामा० सं. 809 दिनांक 10.2.97 को अमल में लाया गया था जिसमें वाड़ीगढ़ के पिता उदयसिंह का उत्तराधिकार वो-हि-वा. दर्ज किया गया था तत्पश्चात जमा० संवत-2053-56 में उक्त नामा० का नोट. अंकित किया गया था जो नामाकरण नकल से साबित है. खाता सं. 78 पर जिसका खाता अंकित है - तत्पश्चात - जमा० संवत [illegible] व आधार वर्ष में वाड़ीगढ़ के पिता उदयसिंह नाम सहवन से छूट गया उदयसिंह [illegible] दिनांक 24.1.25 को हो चुकी है जिससे उसका वारसान का नाम उक्त आराजी में रिकॉर्ड में संभव नहीं हो सका, नामा० सं. 809 [illegible] 10/2/97 व जमा० संवत-2053-56 खाता सं. 78 के आधार पर प्रतिवादी [illegible] के पक्ष में कलमबन्द किया गया जिसमें वाड़ीगढ़ का व प्रति सं. 10 को खातेदार काश्तकार दर्शित किया - [illegible] की अनुशंसा की गई है - अतः वाद स्वीकार अतिरिक्त तहसीलदार [illegible] अनुसार मय नाम उचित है -		

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangadhar Meena
Date: 2025.07.11 17:45:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.

अतः आदेश विवादित- आ.क्र.नं. 627, 632, 633, 639 वाले ग्राम गोबरा तह.-नछवई पर वादिगण व प्रतिवादी सं.10 इन्द्राज सं. 809 किता-10/2 क्षेत्र. क्षेत्र- 2053 से 56 खाता सं.78 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत-9 के इन्द्राजात को नलमजन मय जाकर मुताबिक हिस्सा वादीगण को व प्रतिवादी सं.10 को खातेदार जायत कार घोषित मय जाती. तहसीलदार नछवई को आदेश दी मु. मुताबिक- मिसिल- अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त मय जावे.

पत्रा. कैलाश कुमार बोहरा नछवई बनाम

दायल वगैरह

सहायक कलेक्टर
नछवई जिला प्रतापगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangaram Bhar Meena
Date: 2025.07.11 17:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner